

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-568 / 14
संस्थित दिनांक-26.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. प्रवेन्द्र पुत्र रुमाल सिंह अहिरवार उम्र 19 साल
ग्राम डोंगर थाना पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0
2. अरविन्द पुत्र रुमाल सिंह अहिरवार उम्र 21 साल
3. शीलाबाई पत्नी रुमाल सिंह अहिरवार उम्र 36 साल
4. रुमाल सिंह पुत्र बंशीलाल अहिरवार उम्र 40 साल
निवासीगण सदर
5. बंशीलाल पुत्र चतरा राम अहिरवार उम्र 75 साल
निवासी ग्राम डोंगर थाना पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 17.01.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 323 अथवा 323/34, 324, 324/34, 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.07.2017 को सुबह करीब 10 बजे ग्राम डोंगर में माता मंदिर के पास थाना पिपरई में लोक स्थान पर फरियादी विजेन्द्र अहिरवार को मां बहिन की अश्लील गालिया देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी विजेन्द्र अहिरवार को सदोष अवरोध कारित कर उसे उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत राघुराज, रामपाल, राजबाई की लाठी से एवं स्वयं फरियादी विजेन्द्र को अभियुक्त अरविंद ने काटने के उपकरण कुल्हाडी से स्वेच्छया उपहति कारित की जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2017 को फरियादी विजेन्द्र के भाई रघुराज के पास टैक्सी है, जय कुमार टैक्सी के डाला पर बैठ गया था, जय कुमार से नीचे बैठने का कहने पर वह विजेन्द्र को गालिया देने लगा और चला गया। विजेन्द्र के घर पर जयकुमार प्रवेन्द्र रामपाल शीलाबाई डंडा लेकर आ गये और उक्त लोगों ने राजबाई, रघुबाई, रामपाल की मारपीट कर दी, जिससे जगह जगह चोटें आई। बचाने के लिये विजेन्द्र आया तो अरविंद कुल्हाडी से मारी, सिर में दाहिनी ओर लगी चोट होकर खून निकल आया। रुमाल और बंशी लाल भी आ गये और गालिया देने लगे। फरियादी

रिपोर्ट करने जाने लगा तो रामपाल, बंशीलाल, रूमाल ने रास्ता रोककर कहा रिपोर्ट करने गये तो जान से मार डालेंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक 237/14 अंतर्गत धारा-341, 294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.01.2017 को फरियादी विजेन्द्र एवं आहत रामपाल, राजबाई एवं रघुराज द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 323 अथवा 323/34 एवं 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त वंशीलाल, रूमाल सिंह, शीलाबाई, प्रवेन्द्र पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324/34 एवं अभियुक्त अरविंद पर आरोपित धारा 324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

04—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.07.2017 को सुबह करीब 01:00 बजे ग्राम डोंगर में माता मंदिर के पास थाना पिपरई में फरियादी विजेन्द्र अहिरवार को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उक्त आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अरविंद ने काटने के उपकरण कुल्हाडी से विजेन्द्र को स्वेच्छया उपहति कारित की
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06— प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-1) सहित विजेन्द्र (अ0सा0-2), रघुराज (अ0सा0-3) राजबाई (अ0सा0-4) एवं रामपाल अ सा 5 के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी विजेन्द्र (अ0सा0-2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि रामपाल (अ0सा0-5) टैक्सी चलाता है और बच्चों को छोड़ने जाता है। इस साक्षी के अनुसार घटना को दो तीन साल पहले की होकर सुबह 09:00-10:00 बजे ग्राम डोंगर की है। अभियुक्त रूमाल सिंह का लडका जयकुमार, रामपाल की टैक्सी में बैठ गया था जिसे रामपाल (अ0सा0-5) ने उतरने के लिये कहा तो जयकुमार ने रामपाल (अ0सा0-5) को गालिया देकर अपने घर चला गया और उसके घर से शेष आरोपीगण जयकुमार सहित मौके पर आ गये और रामपाल (अ0सा0-5) का मां बहन की गालिया देने लगे जिससे मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसने जाकर बीच बचाव किया था।
- 07— घटना दिनांक को अभियुक्त रूमाल के लडके जयकुमार के रामपाल (अ0सा0-5) की टैक्सी में बैठने को लेकर ग्राम डोंगर में सुबह 09:00-10:00 बजे अभियुक्तगण का रामपाल (अ0सा0-5) के साथ विवाद हुआ था, इस संबंध में फरियादी विजेन्द्र सिंह (अ0सा0-2) के न्यायालीन कथन को उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 से होती है। रामपाल (अ0सा0-5) ने स्वयं अपने कथनों में फरियादी विजेन्द्र (अ0सा0-2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये है कि तीन साल पहले वह सुबह 10 बजे बच्चों को टैक्सी से छोड़ने जा रहा था तो टैक्सी में जयपाल आकर बैठ गया था, जिसे डांटकर उसने भगाया, तो जयपाल अपने घर गया और शेष अभियुक्तगण के साथ पुनः वापस आया और उसके साथ गाली-गलौच कर दी थी, जिसमें गांव के लोगों ने बीच-बचाव किया था। इस साक्षी के भी उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।
- 08— अतः विजेन्द्र सिंह (अ0सा0-2) व रामपाल (अ0सा0-5) के द्वारा न्यायालय में दी गई उपरोक्त अखण्डित साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को सुबह करीबन 09:00-10:00 बजे रामपाल (अ0सा0-5) जब टैक्सी

लेकर बच्चों को छोड़ने जा रहा था तो जयपाल उसकी टैक्सी में बैठ गया था, जिसे डांट कर भगाने पर जयपाल सहित शेष अभियुक्तगण ने मौके पर आकर रामपाल (अ0सा0-5) के साथ गाली-गलौच की थी।

- 09- रामपाल (अ0सा0-5) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत हैं अपने कथनों में अभियुक्तगण से केवल मुंहवाद होना बताता है, वहीं स्वयं फरियादी भी घटना में अभियुक्तगण के द्वारा केवल मुंहवाद किया जाना बताता है। राजबाई (अ0सा0-4) व रघुराज (अ0सा0-3) भी अभियोजन घटना के अनुसार घटना में आहत हैं परन्तु आहत होते हुये भी राजबाई (अ0सा0-4) ने अपने कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा अपने सामने कोई घटना न होना एवं घटना की जानकारी न होना बताया है, वहीं रघुराज (अ0सा0-3) के अनुसार उसके सामने कोई घटना नहीं हुई उसके लड़के ने विवाद होने के बारे में बताया है तथा यह साक्षी भी अपने कथनों में मारपीट की घटना से इन्कार करता है।
- 10- अतः प्रकरण में फरियादी विजेन्द्र सहित आहत रामपाल (अ0सा0-5) एवं किसी भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि घटना में आरोपीगण ने मारपीट की थी, जिसमें अरविंद ने कुल्हाड़ी से फरियादी विजेन्द्र (अ0सा0-2) के सिर में उपहति कारित की थी। आरोपित अपराध के संबंध में फरियादी सहित किसी भी साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा सभी साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उपरोक्त परीक्षण में किसी भी साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी विजेन्द्र (अ0सा0-2) अपने न्यायालीन कथनों में मारपीट की घटना के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट एवं कथन देने से ही इन्कार करता है वहीं स्वयं रामपाल (अ0सा0-5) भी इस संबंध में पुलिस को कोई कथन न देना बताता है।
- 11- अतः घटना में मुंहवाद के अलावा अभियुक्तगण ने सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में रामपाल (अ0सा0-5) के साथ मारपीट की और उक्त मारपीट के संबंध में अरविंद ने कुल्हाड़ी से रामपाल के सिर में स्वेच्छया उपहति कारित की थी, इस संबंध में फरियादी आहत सहित साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चिकित्सीय साक्षी प्रशांत दुबे (अ0सा0-1) ने हालांकि अपने कथनों में

रघुराज, रामपाल, राजबाई व विजेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 31.07.2014 को किये जाने की पुष्टि की है तथा उक्त चिकित्सीय परीक्षण में सभी आहतगण को चोटें पाये जाने की भी पुष्टि की गई है।

- 12- यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय साक्षी प्रशांत दुबे (अ0सा0-1) की साक्ष्य से एवं चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये चिकित्सीय प्रतिवेदन प्र0पी0-1, 2, 3 व 4 से यह स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 31.07.2014 को फरियादी सहित आहत रामपाल (अ0सा0-5), राजबाई (अ0सा0-4) व रघुराज (अ0सा0-3) का जब चिकित्सीय परीक्षण हुआ था, तो उनके शरीर पर चोटें थी, जिसमें से फरियादी विजेन्द्र के सिर में कटे हुये घाव की चोट चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-1) ने पाई थी।
- 13- विजेन्द्र (अ0सा0-2) के सिर पर कटे हुये घाव की चोट निश्चित रूप से घटना के बाद किये गये चिकित्सीय परीक्षण में पाये जाने की पुष्टि प्रशांत दुबे (अ0सा0-1) ने की हैं परन्तु मात्र उक्त चिकित्सीय साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-5 में उल्लेखित घटना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकते हैं कि उक्त उपहति या आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण में पायी गई उपहति घटना में अभियुक्तगण द्वारा की मारपीट का परिणाम थी। विजेन्द्र (अ0सा0-2) सिर पर पूर्व से चोट होना अपने कथनो में बताता है तथा घटना में केवल मुंहवाद होना बताता हैं वहीं रामपाल (अ0सा0-5) भी घटना में केवल मुंहवाद होने के संबंध में कथन देते हैं तथा शेष साक्षी अपने सामने कोई घटना ही न होना बताते हैं।
- 14- किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक को जयपाल के टैक्सी में बैठने के विवाद से अभियुक्तगण ने दिनांक 31.07.2014 को सुबह 10:00 बजे रामपाल (अ0सा0-5) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में अरविंद ने कुल्हाड़ी से रामपाल के सिर में स्वेच्छया उपहति कारित की थी।
- 15- फलतः अभियुक्तगण प्रवेन्द्र पुत्र रुमाल सिंह अहिरवार, शीलाबाई पत्नी रुमाल सिंह अहिरवार, रुमाल सिंह पुत्र बंशीलाल अहिरवार, बंशीलाल पुत्र चतरा राम अहिरवार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324/34

एवं अभियुक्त अरविन्द पुत्र रूमाल सिंह अहिरवार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण प्रवेन्द्र पुत्र रूमाल सिंह अहिरवार, शीलाबाई पत्नी रूमाल सिंह अहिरवार, रूमाल सिंह पुत्र बंशीलाल अहिरवार, बंशीलाल पुत्र चतरा राम अहिरवार भा0द0वि0 की धारा 324/34 एवं अरविन्द पुत्र रूमाल सिंह अहिरवार को भा0द0वि0 की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

- 16-अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि के पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)